विकास आयुक्त द्वारा ली गयी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 8.9.2016 का कार्यवाही विवरण

1. आवास योजनायें

1.1 चर्चा उपरांत जिला पंचायत सीईओ द्वारा सितम्बर 2016 के लिए स्वनिर्धारित लक्ष्य संलग्न तालिका अनुसार है (इंदिरा आवास)

1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना

(a) योजना की तैय्यारी के लिए विकास आयुक्त द्वारा जारी पत्र दिनांक 3.9.2016 को दोहराते हुए समझाईश दी गयी कि समय सीमा को टालना संभव नहीं है| अतः समयसीमा बद्ध पालन करना सुनिश्चित करे |

(b) विकास आयुक्त के पत्र में निर्दिष्ट कार्यवाही के लिए जनपद पंचायत स्तर पर डाटा एंट्री के लिए स्टाफ की कमी पड़ेगी | रोज़गार सहायक से डाटा एंट्री और geotagged फोटो आदि कार्य कराये जा सकते है | SECC - 2011 में अपात्र हितग्राही संबंदी प्रविष्टि से लेकर वर्ष 2016-17 के लिए चयनित सभी हितग्राहियों को विनिर्दिष्ट समय सीमा में स्वीकृति पत्र जारी करने तक की समस्त कार्यवाही के लिए प्रत्येक जिले को प्रति ग्राम पंचायत रूपये 1000/- (एक हज़ार) के मान से धनराशि उपलब्ध करायी जावेगी | जिला का सीईओ, उस जिले के कलेक्टर से विचार विमर्श कर इस राशि का उपयोग विकास आयुक्त के पत्र में निर्दिष्ट कार्यवाही समय सीमा में कराने के लिए यथोचित रूप से कर सकेंगे |

(c) Mason के प्रशिक्षण की जानकारी विकास आयुक्त ने दी | अग्रिम तैयारी के लिए CEO को समझाईश दी गयी | मंगलवार 13.09.2016 को विस्तृत निर्देश जारी किये जायेंगे |

(d) जिले के वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लक्ष्य की पूर्ती के लिए निर्माण सामग्री की व्यवस्था करायी जाना है | अप्रैल 2017 में पूर प्रदेश में लगभग 8 लाख आवास गृहों का निर्माण चलेगा जो विभिन्न जिलो में 10 हज़ार से 30 हज़ार होगा | सामग्री व्यवस्था हेतु राजस्व अधिकारी, खनिज अधिकारी , उद्योग विभाग के अधिकारी एवं अन्य सम्बंदित की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में कराकर तैयारी कर ली जाए | अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उचित मूल्य पर हितग्राहियों को बाज़ार में उपलब्ध करायी जाना है | इस उद्देश्य से कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गढ़ित

करनी होगी | आवश्यक दिशा निर्देश विकास आयुक्त द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा |

2. स्वच्छ भारत मिशन

2.1 प्रत्येक जिला सितम्बर माह, त्रृतीय त्रैमास (अक्टूबर से दिसम्बर 2016) एव चतुर्थ त्रैमास (जनवरी से मार्च 2017) के लिए पारिवारिक शौचालय निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर गूगल शीट में दर्ज करे |

2.2 स्वच्छ भारत मिशन का भारत शासन का एमआईएस एवं स्वच्छ एम.पी. पोर्टल के डेटाबेस मे आ रही विसंगतियों का आगामी VC के पूर्व निराकरण किया जावे |

2.3 जिलों द्वारा बताई गयी एफटीओ से संबंधित कठिनाईयो का निराकरण एनआईसी भोपाल आगामी VC के पूर्व करे |

3. महात्मा गाँधी नरेगा

3.1 निर्माणाधीन कार्यो की समीक्षा कर अधिकाधिक कार्यो को पूर्ण कराये | यह प्रयास किया जाये कि निर्माणाधीन कार्यो में से 50 प्रतिशत अक्टूबर माह तक पूर्ण हो जाए |

3.2 जिन ग्राम पंचायतो में पांच या अधिक सामुदायिक कार्य निर्माणाधीन है उनमे नए कार्य तभी स्वीकृत किए जाए जब निर्माणाधीन कार्य 5 से कम हो जाए | यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी ग्राम पंचायत में एक समय में 5 से ज्यादा सामुदायिक कार्य निर्माणाधीन श्रेणी में न रहे | इस व्यवस्था में अपवाद केवल निम्न अवस्था में हो सकेंगे:-

(i) वृक्षारोपण के कार्य ,क्योंकि इन्हे एक वर्ष में पूर्ण नहीं किया जा सकता है|

(ii) प्रत्येक ग्राम में एक तालाब के सुदृढीकरण / जीर्णोधार करने और पुराना तालाब उपलब्ध न हो तो नया एक तालाब बनाने की स्वीकृति |

3.3 हितग्राही मूलक कार्यो के संबंद में :-

(a) मेड्बंधन के कार्य केवल धान उत्पादक जनपद क्षेत्र में ही लिया जावे, अन्यत्र नहीं | गैर धान उत्पादक क्षेत्र में मेड्बंधन के अप्रराम्ब स्वीकृत कार्यो को निरस्त की जाए |

(b) धान उत्पादक जनपद पंचायतो में मेड्बंधन के कार्य contour अनुसार चिन्हित क्षेत्र के लिए समूह में लिए जाये ता कि चयनित क्षेत्र के समस्त खेतों की मेड्बंधन का कार्य यथा संभव कराकर जल संरक्षण का लाभ सम्बंदित सभी कृषको को मिल सके |

(c) cattleshed के अप्ररम्भ कार्यो की स्वीकृति निरस्त की जाए और भविष्य में cattleshed के कार्य नहीं लिए जावे | इसका एक मात्र अपवाद ऐसी यूनिट रहेंगे जिनमे शासन की किसी योजना अंतर्गत छः या अधिक दूध उत्पादक पशुओ की यूनिट बनाकर वित्त पोषण किया गया हो

(d) फार्म पोंड के प्रगतिरत कार्यो की संख्या कम है | इच्छुक पात्र हितग्राहियों के लिए प्राथमिकता से फार्म पोंड स्वीकृत किया जावे | फार्म पोंड सामान्यतः कृषको के भूमि के सवा छः प्रतिशत से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए | प्रमुख अभियंता RES अगले VC तक मानक प्राक्कलन / रूपांकन/ तकनिकी अवयव नियत कर प्रसारित करेंगे |

3.4 आधार का कंसेंट फॉर्म बैंक में जमा कर uploading करने की प्रगति में सुधार आवश्यक है| आधार आधारित भुगतान सभी जिलो में आगामी VC के पूर्व तक 10 प्रतिशत न्यूनतम किया जाए | जिन बैंक के द्वारा uploading में विलम्ब किया जाता है, उनकी जानकारी गूगल शीट में इन्द्राज किया जाए .

4. गुना , रीवा , बरवानी, शहडोल, अशोकनगर, दतिया, शाजापुर, बालाघाट जिलो में " दिशा " बैठकों का आयोजन नहीं किया जाना प्रतिवेदित है | बैठक आयोजित की जाए|

5. आगामी बैठक का एजेंडा

   a. SBM प्रगति की समीक्षा एवं लक्ष्य निर्धारण
   b. CM हेल्पलाइन निराकरण की समीक्षा
   c. CM घोषणा का पालन प्रतिवेदन

d. महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यो की प्रगति की समीक्षा (परिवर्तित फॉरमेट C गूगल शीट अनुसार)

9/9/16.

(विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

रघुराज राजेंद्रन

आयुक्त

MPSEGC